राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ.27 (1)(36)( )/मअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/बीए(डी)/2019–20/ 24133-165 जयपुर, दिनांकः– 4|8|2021

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
समस्त

विषय– बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनान्तर्गत जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर के चयन हेतु योग्यता के मापदण्ड अनुसार चयन की कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनान्तर्गत समस्त जिलों में जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर के चयन हेतु निदेशालय स्तर पर योग्यता के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इन मापदण्डों एवं बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना में ब्राण्ड एम्बसेडर की भूमिका का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा पूर्व में चयनित ब्राण्ड एम्बेसेडर यदि संलग्न मापदण्डों की पूर्ति करते हैं, तो उन्हें यथावत रखें अन्यथा पूर्व में चयनित ब्राण्ड एम्बेसेडर के स्थान पर उक्त मापदण्डों की पूर्ति करने वाली बालिका/महिला का चयन कर प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंषा सहित निदेशालय को भिजवायें। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य स्तर पर विभागीय चयन समिति द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना की जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर चयन हेतु अनुशंषा की जायेगी। जिसका अन्तिम अनुमोदन माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। अतः उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकः एफ.27 (1)(36)( )/मअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/बीए(डी)/2019–20/ 24166-198 जयपुर, दिनांकः–4|8|2021

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला कलेक्टर, समस्त जिले ....
2. प्रोग्रामर, मय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक एवं
प्रभारी अधिकारी (SRCW)